

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग ।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला ।

यादी क्रमांक 203-व-5-2015/17278
चण्डीगढ़, दिनांक 8/10/15

विषय:

Diversion of 0.95 ha. of forest land for laying of OFC through trenching method in Babain Block from Phasisanda to Lakhmari exchange, Buhawa to Lakmari, Damili road, Buhawi to Lakhmari Yari road,, Berthali to Lakhmari Yari road, Isherheri to Lkahmari Yari road, Mangli Jatan to Sanghore exchange, Sanghore to Sanghore RSU Phalsanda Rangran to Babain Sanghore road, Ram Saran Majra to Babain Sanghore road, Nakhrojpur to Sanghore gjl road, Mahuwa Kheri to Sngr Gjl Rd. Jandola to Ramnagar, under forest land division and District Kurukshetra, Haryana.(6393)


संदर्भ:

क्रमांक डी-III-6393/3590 दिनांक 10.09.2015.

उपर्युक्त विषय पर आपके प्रस्तावानुसार SDE(Trans) BSNL Telephone Kurukshetra के अनुरोध पर हरियाणा में laying of OFC through trenching method in Babain Block from Phasisanda to Lakhmari exchange, Buhawa to Lakmari, Damili road, Buhawi to Lakhmari Yari road,, Berthali to Lakhmari Yari road, Isherheri to Lkahmari Yari road, Mangli Jatan to Sanghore exchange, Sanghore to Sanghore RSU Phalsanda Rangran to Babain Sanghore road, Ram Saran Majra to Babain Sanghore road, Nakhrojpur to Sanghore gjl road, Mahuwa Kheri to Sngr Gjl Rd. Jandola to Ramnagar, under forest land division and District Kurukshetra Haryana, हेतु वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत उपयोग की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी ।
2. कोई वृक्ष इस क्षेत्र में नहीं काटा जायेगा ।
3. प्रयोक्ता एजैन्सी स्थानीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन संरक्षण तथा पौधारोपण के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त की पालना करेगी ।
4. उपरोक्त गैर वानिकी कार्य के लिए वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ बिछाई जायेगी और खोदी गई जमीन प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा पुनः स्थापित की जायेगी।
5. प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार की वन सम्पदा/पर्यावरण को होने वाली हानि की भरपाई करेगी ।
6. प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी ।
7. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
8. यह स्वीकृति अन्य सम्बन्धित अनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदेशों/अनुदेशों आदि के अधीन प्रस्ताव की अनुमति पर निर्भर करती है जैसाकि इस प्रस्ताव पर लागू है ।
9. खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
10. यह स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यान व वन्य प्राणी विहार क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।
11. राज्य सरकार इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित/रद्द कर सकती है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यन्वित सन्तोषप्रद नहीं है।

भवदीय,


विशेष सचिव, 8/10/15

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
वन विभाग ।

प्रतिलिपि:-

1. वनपाल, केन्द्रीय भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय परिमण्डल, कार्यालय बेज नं0 24-25, सैक्टर-31 ए चण्डीगढ़ को सूचनार्थ भेजी जाती है ।
2. वन मण्डल अधिकारी, कुरुक्षेत्र ।